रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 228] नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1986/वैशाख 22, 1908
No. 228] NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1986/VAISAKHA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 मई, 1986

सं. 292/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 741(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन साधारणतया प्रचलित थी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची, जैसी कि वह 28 फरवरी, 1986 के पूर्व विद्यमान थी, की मद सं. 27 के अंतर्गत आने वाली एल्युमिनियम चादरों पर, जो उत्पादन के कारखाने में,—

(1) 0.56 मिलीमीटर और उससे अधिक किन्तु 1.22 मिलीमीटर से अनधिक की मोटाई के एल्युमिनियम वृत्तों के विनिर्माण में किसी अंतर्वर्ती प्रक्रम पर प्राप्त हों, उत्पाद-शुल्क 1 मार्च, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और 30 नवम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, या

(2) 0.56 मिलीमीटर और उससे अधिक किन्तु 2 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई के एल्युमिनियम वृत्तों के विनिर्माण में किसी अंतर्वर्ती प्रक्रम पर प्राप्त हों, 1 दिसम्बर, 1980 को प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान,

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रभार्य उत्पाद-शुल्क की बाबत जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित, उक्त धारा 3 के अधीन उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था;

और ऐसी एल्युमिनियम चादरों पर विशेष उत्पाद-शुल्क भी उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत सुसंगत विधि के अधीन उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर ऐसी एल्युमिनियम चादरों पर उक्त अधिनियम के अधीन या उक्त विधि के अधीन संदेय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क, ऐसी एल्युमिनियम चादरों की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क या विशेष उत्पाद-शुल्क, उक्त प्रथा के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था।

[फा. सं. 141/25/84-के.उ.शु.-4]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th May, 1986

NOTIFICATIONS

NO. 292|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 741(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on aluminium sheets falling under Item 27 of the First Schedule of the said Act, as it existed prior to the 28th February, 1986, and arising at an intermediate stage in the factory of production in the manufacture of—

(i) aluminium circles of thickness of and above 0.56 millimetres but not above 1.22 millimetres, during the period commencing on the 1st March, 1975 and ending with the 30th November, 1980, or

(ii) aluminium circles of thickness of and above 0.56 millimetres but not above 2 millimetres, during the period commencing on the 1st December, 1980 and ending with the 31st July, 1984,

Was not being levied under the said section 3 read with any notification issued by the Central Government in relation to duty of excise so chargeable during the said periods;

And whereas the special duty of excise on such aluminium sheets was also not being levied under the relevant law relating to the levy of such duty during the periods aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under the said Act or under the said law, on such aluminium sheets, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such aluminium sheets on which the said duty of excise or the special duty of excise were not being levied during the periods aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 141|25|84-CX.4]

सं. 293/86-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि. 742(अ):—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन साधारणतया प्रचलित थी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची, जैसी कि वह 28 फरवरी, 1986 के पूर्व विद्यमान थी, की मद सं. 25 की उपमद 16 (1) के अंतर्गत आने वाली लोहे की ढलवां वस्तुओं पर, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, तब जब वे उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 25 की उपमद 3(2) के अंतर्गत आने वाले इस्पात के अपशिष्ट और स्क्रैप से बनाई जाएं, उत्पाद-शुल्क 1 अगस्त, 1983 को प्रारम्भ होने वाली और 29 फरवरी, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, ऐसी लोहे की ढलवां वस्तुओं पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संदेय विशेष उत्पाद-शुल्क ऐसी लोहे की ढलवां वस्तुओं की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित न होगा जिन पर उक्त उत्पाद-शुल्क और उक्त विशेष उत्पाद-शुल्क, उक्त प्रथा के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया गया था।

[फा.स. 139/61/84-के.उ.शु.-4]

दीपक कुमार, अवर सचिव

NO. 293|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 742(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on castings of iron, not otherwise specified, falling under sub-item 16(i) of Item 25 of the First Schedule to the said Act as it existed prior to the 28th February, 1986, when made from waste and scrap of steel, falling under sub-item 3(ii) of Item 25 of the said First Schedule, was not being levied during the period commencing on the 1st August, 1983 and ending with the 29th February, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under section 3 of the said Act and the special duties of excise payable under sub-section (1) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984) on such castings of iron, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such castings of iron on which the said duty of excise and the said special duties of excise, were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 139|61|84-CX.4]

DEEPAK KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1986